हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी। **CERT-35(B)**

छात्र की जन्मतिथि और आधार संख्या में सुधार के लिए आवेदन
(आवेदक को फॉर्म अपनी लिखावट में बड़े अक्षर में भरना होगा)
(कृपया पिछले पृष्ठ पर दिए गए नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

प्रमाण–पत्र अनुसार विवरण		**जो सुधार छात्र चाहता है**
नाम		
पिता का नाम		
माता का नाम		
जन्मतिथि		
आधार संख्या		

1. परीक्षा का विवरण

परीक्षा	अनुक्रमांक	**सत्र एवं वर्ष**	**संस्थान का नाम/ निजी/ ओपनस्कूल**

त्रुटि का कारण (पूर्ण विवरण सहित).....
.....
.....

दिनांक-_____ आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन/प्रमाणन

विद्यालय के **दाखिला व खारिज** रजिस्टर कक्षा _____के अनुसार छात्र का नाम _____ है। जन्म की तारीख_____माता का नाम_____पिता का नाम_____ है।

अनुप्रमाण प्राधिकारी का नाम और पदनाम _____ मोबाइल :_____ ईमेल आईडी-_____	मोहर के साथ हस्ताक्षर (प्रमाणनप्राधिकारी)

मूल प्रमाण पत्र/ संशोधन के लिए संलग्न दस्तावेज- _____
_____
शुल्क राशि-_____ रसीद संख्या और दिनांक-_____

आवेदक का पता-_____ _____ पिनकोड-_____ मोबाइल-_____ ईमेल आईडी -_____	आवेदक का पता-_____ _____ पिनकोड-_____ मोबाइल-_____ ईमेल आईडी -_____

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी। **CERT-35(B)**

छात्र की जन्मतिथि और आधार संख्या में सुधार हेतु नियम

1) जन्मतिथि और आधार संख्या में सुधार के लिए छात्र को निर्धारित प्रारूप में संबंधित स्कूल के प्रमुख के माध्यम से सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को आवेदन करना होगा। संबंधित स्कूल को अपने जोखिम/जिम्मेदारी पर मूल रिकॉर्ड व उसकी सत्यापित फोटोकॉपी, यानी **दाखिला व खारिज** रजिस्टर, प्रवेश पत्र और किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र और पहले उत्तीर्ण बोर्ड की परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
2) निजी छात्र के रूप में इस बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को अंतिम बार उपस्थित हुए स्कूल के प्रमुख के माध्यम से सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा और आवेदन स्कूल द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
3) ओपन स्कूलिंग के उम्मीदवार के रूप में बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना आवश्यक है और आवेदन मान्यता प्राप्त संस्थान/सरकारी विद्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
4) सभी प्रयोजनों के लिए बनाई गई संरचना के अनुसार निर्धारित शुल्क देय होगा। शुल्क किसी भी स्थिति में वापसी नहीं होगा।
5) किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र या जिला शिक्षा अधिकारी/संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (एसएलसी) बोर्ड को स्वीकार्य होगा।
6) विदेशों में स्थित और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों का मूल प्रमाण पत्र भी स्वीकार्य होगा।
7) आवेदक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, तो उसे डुप्लिकेट प्रमाण पत्र या इस आशय का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8) यदि आवेदक आवेदन जमा करने के एक वर्ष के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है, तो केस को बन्द (File) किया जाएगा, और यदि वह चाहता है कि उक्त अवधि के बाद उसके आवेदन पर फिर से विचार किया जाए, तो उसे निर्धारित शुल्क व आवेदन पत्र दोबारा जमा करना होगा ।
9) <u>मिडिल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी प्रमाणपत्र</u>- स्कूल रिकॉर्ड और सार्वजनिक दस्तावेजों (जन्मतिथि प्रमाणपत्र आदि) के आधार पर स्कूल के प्रमुख द्वारा विधिवत अग्रेषित जन्मतिथि और आधार कार्ड में सुधार के लिए आवेदन पर विचार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से केवल छह साल के भीतर किया जाएगा। अभ्यर्थी को इस आशय का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मामलों में जहां सुधार सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर किया जाना है, उम्मीदवार को सार्वजनिक सूचना और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की प्रति जमा करनी होगी। यदि छह वर्ष की उक्त अवधि के बाद आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो किसी भी प्रकार के सुधार पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऐसे मामले में जहां सहायक स्कूल रिकॉर्ड या सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, जन्मतिथि और आधार कार्ड में सुधार के संबंध में आवेदन पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि सुधार को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो।

हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) प्रमाणपत्र और D.Ed/D.El.Ed. प्रमाणपत्र-
जन्मतिथि में सुधार (HTET और D.Ed.) के लिए आवेदन केवल <u>सैकेण्डरी</u> प्रमाणपत्र के आधार पर स्वीकार किया जाएगा और आधार संख्या (D.El.Ed) में सुधार केवल आधार कार्ड के आधार पर किया जाएगा। केवल विवरण में संशोधन की अनुमति होगी, विवरण में परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। <u>हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में परीक्षा के बाद आधार कार्ड में कोई सुधार नहीं किया जाएगा।</u> अन्य नियम शैक्षणिक व्यवस्था के अनुसार होंगे।

10) यदि किसी अभ्यर्थी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से <u>मिडिल/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी</u> परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसके आधार पर आगे की परीक्षाओं के प्रमाणपत्रों में सुधार किया जा सकता है। कोई समय सीमा लागू नहीं है।

11) नियमों में स्थिरता के लिए प्रमाण पत्र में सुधार के लिए आवेदन पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल के भीतर संबंधित परीक्षा शाखा द्वारा विचार किया जाएगा। तीन वर्षों के बाद, आवेदन पर अगले तीन वर्षों के लिए प्रमाणपत्र शाखा द्वारा विचार किया जाएगा, बशर्ते कि संबंधित स्कूल रिकॉर्ड को टेम्पर्ड/ओवरराइट/हेरफेर न किया गया हो।
नोट: ए) बोर्ड नियमों और विनियमों के अनुसार उचित सुधार उपरांत पुराना प्रमाणपत्र रद्द करने के बाद नया प्रमाणपत्र जारी करेगा ।
ख) **प्रमाणपत्र में सुधार के लिए प्रमाणपत्र शुल्क रु. 800/- + 300/- प्रति सुधार या अधिकतम शुल्क 1400/- रु. एक से अधिक सुधार के लिए प्रति प्रमाणपत्र लिया जाएगा। दस्ती प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु 300 रूपये अतिरिक्त शुल्क देय होगा।**